झारखण्ड सरकार

कार्यालय – वन प्रमंडल पदाधिकारी,
हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल, वन भवन, हजारीबाग

☎ 06546-222339, Fax no.06546-222339, Email- dfo.hazaribaghwest@rediffmail.com

पत्रांकः 111 दिनांकः 4/1/2020

सेवा में,

वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल,
हजारीबाग।

विषयः– *एन0टी0पी0सी0 पकरीबरवाडीह कोल खनन उत्तरी पश्चिमी परियोजना हेतु 331.198 हे0 वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।*

प्रसंगः– आपका पत्रांक 3685 दिनांक 23.12.2019

महाशय,

उपयुर्क्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में सूचित करना है कि *एन0टी0पी0सी0 पकरीबरवाडीह कोल खनन उत्तरी पश्चिमी परियोजना हेतु 331.198 हे0 वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव में तीन बिन्दुओं पर पृच्छा की गई थी, जिसका निराकरण प्रतिवेदन निम्नवत दी जा रही है :–*

क0सं0	पृच्छा	निराकरण
1	प्रस्ताव में सन्निहित भूमि विवरणी प्रतिवेदन में अंचल अधिकारी, केरेडारी द्वारा ग्राम बेलतु के खाता संख्या 190 के प्लॉट सं0 84 पी0 एवं 62 पी0 को जंगल पहाड़ तथा प्लॉट संख्या 58 पी0 एवं 87 को जंगल –झाड़ी प्रतिवेददित किया गया है। इसी प्रकार ग्राम कण्डाबेर के खाता संख्या 110 के प्लॉट संख्या 559 के 1. 96 एकड़ रकवा को गैर मजरूआ खास प्रतिवेदित किया गया है जबकि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा समर्पित भूमि विवरणी में उक्त प्लॉट को जंगल बताया गया है।	ग्राम बेलतु, थाना– बड़कागांव, थाना संख्या –32 का प्लॉट संख्या – 58, 62 और 87 अधिसूचित वन भूमि है। जिसका अधिसूचना संख्या C/PF- 10166/52-10R दिनांक 02.01. 1953 है। प्लॉट संख्या – 84 सीमांकित वन भूमि है। तथा ग्राम कण्डाबेर, थाना बड़कागांव, थाना संख्या – 33 का प्लॉट संख्या 559 अधिसूचित वन भूमि है। जिसका अधिसूचना संख्या C/PF- 10166/52-10R दिनांक 02.01.1953 है।
2	प्रस्ताव में अंचल अधिकारी, बड़कागांव द्वारा ग्राम उरूब के खाता संख्या 49 के प्लॉट संख्या 635 पी0 661, 666, 677पी0 एवं 689पी0 को जंगल भूमि के रूप में प्रतिवेदित	ग्राम उरूब, थाना बड़कागांव, थाना संख्या – 41 का प्लॉट संख्या 635पी0, 661, 666, 677पी0 एवं 689 पी0 अधिसूचित वन भूमि नहीं है ।

	किया गया है, जबकि प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा समर्पित भूमि विवरणी में उक्त प्लॉटों को जंगल झाड़ी बतलाया गया है।	
3	प्रस्ताव के फार्म – A (पार्ट – 1) के कंडिका B1 में Details of Proposal seeking prior approval of Central Government under the Act for diversion of forest land for the project already submitted in the past में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा NIL अंकित किया गया है, जबकि प्रस्ताव में अनुलग्नक के रूप में पूर्व में भारत सरकार से स्टेज –I/ स्टेज – II प्राप्त तीन प्रस्तावों के सूची लगाई गई है।	फार्म– A (पार्ट – 1) के कंडिका M 7.1 के Additional information details में On line अंकित है।

अतः प्रासंगिक पत्र द्वारा पृच्छा का निराकरण करते हुए प्रस्ताव की मूल प्रति माइनिंग प्लान के सात –सात प्रतियों में इस पत्र के साथ संलग्न करते हुए अग्रेतर कार्रवाई हेतु ऑन लाईन/ऑफ लाईन भेजा जा रहा है।

अनु0–यथोक्त। – 07 प्रतियों में माइनिंग प्लान/प्रस्ताव

आपका विश्वासी

वन प्रमंडल पदाधिकारी
हजारीबाग पश्चिमी प्रमंडल